न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारीः— उम्मेदीलाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16 / 2021

स्टेट जरिये प्रवर्तन अधिकारी, हनुमानगढ़

——प्रार्थी

बनाम

श्री साहब राम पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी पीलीबंगा गांव, तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ।

——अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी. एक्ट

उपस्थितः—1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधि.
2 श्री विनोद सैनी अभि. अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः —09.05.2025

राजस्थान राज्य जरिये प्रवर्तन अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 02.03.2021 को जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ हमराह विनोद कुमार प्रवर्तन अधिकारी पंवार किरयाना स्टोर पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा स्थित एक दुकान में पेट्रोल, डीजल का अवैध भण्डारण पेचान की सूचना पर उक्त दुकान पर उपस्थित हुए। मौके पर उपस्थित श्री साहबराम पुत्र श्री कृष्णलाल ने स्वयं को दुकान का स्वामी होना बताया। मौके पर साहबराम एवं अन्य गवाहों की उपस्थिति में दुकान की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान दुकान में 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का 1), 1 कीप लोहे की, पेट्रोल—डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प मिले। मौके पर पाया गया सामान दुकान में पेट्रोल—डीजल के विक्रय कारोबार का होना स्पष्ट करता है। मौके पर साहबराम द्वारा उनके पास पेट्रोल—डीजल विक्रय कारोबार करने हेतु वैध दस्तावेज, लाइसेंस, परमिट आदि नहीं होना बताया। मौके पर पाये गये 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का 1), 1 कीप लोहे की, पेट्रोल—डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प के भण्डारण के सम्बन्ध में कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं अवैध भण्डारण एवं कारोबार स्पष्ट होने के कारण 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का 1), 1 कीप लोहे की, पेट्रोल—डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प को मौके पर ही जब्त कर लिया गया। जब्त की गई उक्त सामग्री श्री कालुराम पुत्र श्री पिदमणराम हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा की सुपुर्दगी में दिया गया। इस प्रकार की साहबराम पुत्र श्री कृष्णलाल निवासी पीलीबंगा गांव तहसील पीलीबंगा द्वारा मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के खण्ड 4 का उल्लघंन किया गया है जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थना अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का 1), 1 कीप लोहे की, पेट्रोल—डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प को राजसात करने के आदेश फरमायें एवं जब्त पेट्रोल—डीजल शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील पदार्थ है, को अंतरिम निस्तारण के आदेश फरमाने का श्रम करे।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया। जब्तशुदा को ज्वलनशील पदार्थ होने से

जानमाल की हानि की संभावना को ध्यान में रखते हुए जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 09.03.2021 को दिये जा चुके है। अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि राज्य सरकार द्वारा क्रमांक 17(24)खाद्य आपूर्ति, विधि विभाग/90 दिनांक 11.04.2005 जारी अधिसूचना अनुसार अनुज्ञप्ति धारी व्यापारी से विभिन्न कोई भी व्यक्ति अपनी आवश्यकता हेतु एक समय में अपने कब्जे में 1000 लीटर डीजल तक की मात्रा तथा केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार कोई भी व्यक्ति अपने पास 2500 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ का संग्रहण कर सकता है। प्रार्थी की पंवार किरयाना स्टोर के नाम से दुकान अवश्य है परन्तु प्रार्थी की दुकान पंवार किरयाना स्टोर में किसी प्रकार का डीजल व पैट्रोल का विक्रय नहीं किया जा रहा था। 500 लीटर डीजल प्लास्टिक ड्रम प्रार्थी के घर से बरामद किये है। प्रार्थी के नाम से चक 5 पी.बी.एन. तहसील पीलीबंगा के खाता सख्या 96/77 में 4.377 हैक्टेयर कृषि भूमि है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि स्वयं काश्त करता है। प्रार्थी अपनी भूमि की काश्त हेतु ट्रैक्टरों व अन्य कृषि उपकरणों के लिए प्रार्थी द्वारा सोहनलाल जनकलाल, हिन्दूस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीलीबंगा से डीजल व प्रार्थी के घरेलू साधन मोटरसाईकिल व कार हेतु काफी समय से पैट्रोल खरीद करता आ रहा है जो प्रार्थी के घर में रखा हुआ था। जिला रसद अधिकारी द्वारा जब्तशुदा प्लास्टिक कैनी व लोहे के माप ट्रैक्टर व कृषि साधनों में लेने हेतु माप यन्त्र रखे जाते है। रसद अधिकारी ने अपना रिकार्ड बनाने के लिए प्रार्थी पर उक्त मिथ्या कार्यवाही की गई है। प्रार्थी द्वारा जिला रसद अधिकारी को मौके पर सोहनलाल जनकलाल, हिन्दुस्तान पैट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पीलीबंगा से बिल पर डीजल व पैट्रोल खरीद करना बताया गया लेकिन उक्त बात रिकार्ड पर जानबूझकर नहीं ली गई तथा तमाम कागजात मौके पर तैयार न करके अपने कार्यालय में आकर झूठे तैयार किये गये तथा प्रार्थी के हस्ताक्षर जिला रसद अधिकारी द्वारा पूर्व में तैयार प्रिन्ट फार्म पर खाली फार्मों पर हस्ताक्षर करने का दवाब बनाया। प्रार्थी द्वारा हस्ताक्षर करने से मना करने पर प्रार्थी पर गम्भीर कार्यवाही का भय दिखाकर हस्ताक्षर करने पर मजबूर किया गया। प्रार्थी कृषक पेशा व्यक्ति है। प्रार्थी के नाम कृषि भूमि है। प्रार्थी को अपनी कृषि भूमि के उपकरणों व ट्रैक्टरों के लिए डीजल की आवश्यकता रहती है। प्रार्थी के द्वारा उक्त डीजल का बेचान के उदेश्य से खरीद नहीं किया गया है। प्रार्थी को अपने मोटरसाईकिल व कार आदि के लिए पैट्रोल की आवश्यकता रहती है। प्रार्थी ने अपने उक्त ट्रैक्टर व अन्य कृषि उपकरण के लिए डीजल की आवश्यकता होने पर कृषि भूमि पर संचालन कार्यों के लिए खरीद किया गया है जो किसी भी प्रकार से कानून की अवहेलना नहीं है। उक्त आदेश राज्य सरकार के गजट नोटिफिकेशन दिनांक 11.04.2005 के आधार पर दिया गया है, जबकि केन्द्रीय भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन सन् 1999–2005 के अनुसार एक व्यक्ति अपनी निजी आवश्यकता के लिए 2500 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ तक संग्रहण कर सकता है। ऐसी अवस्था में राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश को केन्द्रीय सरकार का आदेश Super Seed करता है, ऐसी अवस्था में Consiscalsion (राजसात) की कार्यवाही विधिविरूद्ध है। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2011 (2) Cr.L.R.(Raj.) 1683, Nakshtra Singh V/s State of Raj. के निर्णय में तीन व्यक्तियो के कब्जे में 5 इमो में 1050 लीटर डीजल पाया गया। डीजल अनुज्ञेय आधिपत्य 1000 लीटर है। 2 सह अभियुक्त के विरूद्ध कार्यवाही रदद् की प्रार्थी 430 लीटर डीजल क्रय करने का बिल पेश किया। डीजल का आधिपत्य अवैध नहीं कहा जा सकता–निर्णित प्रसंज्ञान लेने का आदेश अपास्त किया गया। इस सन्दर्भ में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने 2016 (1) Cr.L.R.(Raj.), 506, Karamjeet Singh V/s Raj. पारित निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया है कि राज्य अधिनियम के उपर केन्द्रीय अधिनियम अधिभावी होगा तथा केन्द्रीय नोटिफिकेशन में एक व्यक्ति 2500 लीटर पैट्रोलियम पदार्थ एक समय में संग्रहण कर सकता है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थी के विरूद्ध खोली गई कार्यवाही मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

राजकीय अभिभाषक ने दौरान बहस कथन किया है कि जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का

1), 1 कीप लोहे की, पेट्रोल–डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प को जब्त किया गया है। जब्ती के समय कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये। लाईसेंस, परमिट के अभाव में जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल व अन्य सामान आदि अवैध भण्डारण एवं कारोबार है। अवैध पेट्रोल, डीजल रखना आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्तशुदा पेट्रोल, डीजल मय उपकरण राजसात किया जाये।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया कि:–

1. स्टेट जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्ती के समय साथ में लोहे के नाप, कीप व पेट्रोल–डीजल बेचान के दस्तावेज एवं 2 हस्तचालित पम्प भी पाये गये। जिससे सिद्ध होता है कि अप्रार्थी द्वारा काफी समय से अवैध भण्डारण एवं कारोबार हो रहा है।
2. अप्रार्थी भी वरवक्त जांच मौके पर मौजूद था और उसके दौराने मौके पर उपस्थित होकर रिपोर्टेड मात्रा में डीजल–पेट्रोल व अन्य सामग्री होना मौखिक रूप से स्वीकार किया है। किन्तु किसी प्रकार के परिवहन व भण्डारण संबंधी अनुज्ञा होने से मना किया, जिससे यह स्पष्ट रूप से साबित होता है कि प्रश्नगत प्रकरण में डीजल/पेट्रोल भण्डारण अवैध था।
3. अप्रार्थी द्वारा जांच अधिकारी को वरवक्त निरीक्षण पेट्रोल, डीजल के विक्रय, कारोबार करने हेतु कोई बिल लाईसेंस, परमिट इत्यादि मौके पर उपलब्ध नहीं करवाये गये थे तथा ना ही अब कोई ठोस दस्तावेज साक्ष्य आदि पेश हुए हैं। मौके पर अप्रार्थी के पास वैद्य दस्तावेज, लाईसेंस परमिट आदि नहीं होना तथा वाणिज्यिक परिसर से दौराने जब्ती लाइसेन्स के अभाव में अवैध भण्डारण एवं कारोबार का कृत्य, 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के प्रावधानों का उल्लघंन है जिसके लिए अप्रार्थी अवैध भण्डारण व कारोबार का दोषी है।

अतः उक्त जब्तशुदा 500 लीटर डीजल मय 3 प्लास्टिक ड्रम, 25 लीटर पेट्रोल मय, 2 प्लास्टिक कैनी, 3 लोहे के माप (10 लीटर का 2, 5 लीटर के 1, 2 लीटर का 1, 1 लीटर का 1, आधा लीटर का 1), 1 कीप लोहे की एवं 2 हस्तचालित पम्प को इस न्यायालय द्वारा जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को अन्तरिम निस्तारण कर उक्त राशि राजकोष में जमा करवाये जाने के आदेश दिनांक 09.03.2021 को दिये जा चुके हैं, को राज्य के पक्ष में राजसात (Confiscate) किया जाता है।

जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ को निर्देशित किया जाता है कि निस्तारण से प्राप्त राशि को राज्य के राजकोष में जमा कर चालान नम्बर व दिनांक सहित पालना रिपोर्ट 15 दिवस में इस न्यायालय को प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 09.05.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेदीलाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ़

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ

अपर जिला कलक्टर (राज.) हनुमानगढ